

14/9/21

कमिशन उपपत्र उपर कमिशन संशोधन का
तक है कि अधीनस्थ न्यायालय में अज्ञात
का निस्तारण हो चुका है। अतः दस्तावेज
अपील अंतर्गत धारा 225 प्रभावहीन हो
चुके हैं। कमिशन अपीलानु में कोई आपील
बाहिर नहीं की। अतः अपील प्रभावहीन
में खारिज की जाते हैं। पत्रावली
फैशन शुमार के आकर मम्बर से
कम की जावे, बाद जाता दारिदल
दफतर हो।

पु-प्रमुख अधिकारी
दफतर
कमिशन अधिकारी
कमिशन संशोधन